



बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल



ई-मेल - dm-arwal.bih@nic.in

वेबसाइट - arwal.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स - 06337-228988

पत्रांक-

दिनांक -

आदेश

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1795 दिनांक 11.05.2020 के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 654/गो0 दिनांक 13.05.2020 की कंडिका 03 में रेल से आने वाले प्रवासी मजदूरों संबंधी सूचना <https://covidportal.bihar.gov.in> पर अपलोड किये जाने हेतु निदेश दिया गया है।

प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1834 दिनांक 12.05.2020 द्वारा निदेशित किया गया है कि उक्त वांछित सूचना प्रखंड कोरोन्टाईन कैम्प में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूर के लिए अपेक्षित है।

अतएव नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी अरवल जिला को निदेशित किया जाता है कि रेल से आने वाले प्रवासी मजदूरों सहित कोरोन्टाईन कैम्प में रहने वाले सभी प्रवासी मजदूरों का निम्न सूचना <https://covidportal.bihar.gov.in> पर अपलोड करेंगे।

लाभार्थी का नाम (बैंक खाते के अनुसार)	IFSC	बैंक का नाम एवं शाखा	बैंक खाते की संख्या
---------------------------------------	------	----------------------	---------------------


प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन का दायित्व होगा कि वे प्रतिदिन संध्या में उक्त पोर्टल का अवलोकन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रविष्टि हो रही है। यदि किसी प्रकार की त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो वे तुरंत नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उसका समाधान कराते हुए प्रविष्टि सुनिश्चित करायेंगे तथा वस्तुस्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,

अरवल।

- ज्ञापांक : 655/2110 अरवल दिनांक 13/05/2020।
- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अरवल एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
अरवल।